रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2016/चैत्र 17, 1938
No. 255]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2016/ CHAITRA 17 , 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 408(अ).–केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारुप जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (ड-) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावति होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन नियमों के संबंध में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली – 110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे;

आक्षेप या सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारुप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान नियम (.......संशोधन) नियम 2016 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 93ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"93ग विमान पत्तन यात्री बस का सकल विस्तार

(1) विमानपत्तन यात्री बस की समग्र लंबाई पंद्रह मीटर से अधिक नहीं होगी ।

(2) विमानपत्तन यात्री बस की समग्र चौढ़ाई 3.2 मीटर से अधिक नहीं होगी

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए "विमानपत्तन यात्री बस (टरमैक बस)" पद से दोनों ओर द्वार वाली ऐसी बस अभिप्रेत है जिसका 30 किलोमीटर प्रतिघंटा से अनधिक अधिकतम यानीय गति के साथ अनन्य रूप से यात्रियों को टर्मिनल से जहाज तक ले जाने और जहाज से विमानपत्तन टर्मिनल तक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है ।

3. मूल नियमों के नियम 118 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

(3) नियम 93ग में निर्दिष्ट विमानपत्तन यात्री बस ऐसे स्पीड गवर्नर; (गति सीमित करने वाली युक्ति या गति सीमित करने वाला प्रकार्य) से सज्जित होगी या उसमें ऐसा स्पीड गवर्नर फिट होगा जो अधिकतम तीस किलोमीटर प्रति घंटा या ऐसी निम्न गति सीमा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, पहले से सेट हो जाए; जो और समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस:018/2001 मानक के अनुरूप हो ।"।

[सं. आरटी-11028/03/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. ……(अ) तारीख …………… द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2016

G.S.R. 408(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001, within the period specified above;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (_______Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), after rule 93B, the following rule shall be inserted, namely:-

"93C. **Overall dimension for Airport Passenger Bus (Tarmac Bus).-**

(1) The Overall Length of the Airport Passenger Bus shall not exceed fifteen meters.
(2) The Overall Width of the Airport Passenger Bus shall not exceed 3.2 meters.

Explanation.- For the purposes of this rule, the term "Airport Passenger Bus (Tarmac Bus)" means the Bus having both side doors which is exclusively used for the carrying passengers from airport terminal to the plane and vice versa and plying on the air side on the Air port terminal with maximum vehicle speed not exceeding thirty kilometer per hour.

3. In rule 118 of the principal rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

(3). An Airport Passenger Bus, referred to in rule 93C, shall be equipped or fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of thirty kilometer per hour or such lower speed limit as specified by the State Government from time to time, conforming to the standard AIS:018/2001 as amended from time to time.".

[No. RT-11028/03/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. …….(E) dated the ___________________

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.